

न्यायालय:- मीना शाह ,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला,
जिला-बैतूल (म0प्र0)
दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-100 / 15
संस्थित दिनांक-11.03.2015
ई-फाइलिंग नं. 233504001312015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला बैतूल (म0प्र0)

..... अभियोजन

विरुद्ध

संतोष राठौर पिता छोटेलाल राठौर
उम्र 35 वर्ष, निवासी आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल(म0प्र0)

..... अभियुक्त

॥ नि र्ण य ॥

(आज दिनांक 09.09.2016 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त का विचारण भारतीय दण्ड विधान की धारा 294, 323, 506 भाग-दो के अंतर्गत दिनांक 04.03.2015 को समय 3 बजे बस स्टैण्ड आमला जिला बैतूल फरियादी गीता बाई को माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य को क्षोभ कारित करने तथा फरियादी गीता को बॉस की लकड़ी से मारपीट कर साधारण उपहति कारित करने एवं फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिवास करने के आरोप पर किया गया।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 04.03.2015 को दिन के करीब 3 बजे फरियादी गल्ला खरीद कर दुकान रेल्वे स्टेशन आमला के पास लगाई थी। जब गल्ला लेने के लिए

बस स्टैण्ड आई, वहीं पर अभियुक्त संतोष था, जिसने भी गल्ला की दुकान लगाई हुई थी। अभियुक्त संतोष ने फरियादी को माँ बहन की गाली देकर ये कहा कि तू मेरी दुकान पर से गल्ले की गठरियों क्यों ले जाने आई है। जब फरियादी ने अभियुक्त संतोष को गाली देने से मना किया तो संतोष ने लठ से उसके सर पर मारा, तब फरियादी ने अपने आपको बचाने की कोशिश की, जिससे उसके दाहिने हाथ की कलाई पर भी चोट आई थी। घटना में बीच-बचाव उसके लड़के आयुष तथा ओमकार ने किया। फरियादी के द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने में की गई। रिपोर्ट पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेख की गई। तत्पश्चात् विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया तथा अभियुक्त से एक बांस की लकड़ी जप्त कर प्रदर्श पी-4 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए गए। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अभियुक्त ने आरोपित अपराध कारित करने से इंकार किया है। धारा-313 दं0प्र0सं0,1973 के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण किए जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना प्रकट किया है।

04. प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिये विचारणीय बिन्दु यह हैं कि—

01. क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी गीता बाई को माँ बहन की अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य क्षोभ कारित किया ?

02. क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी गीता को लकड़ी से मारपीट की कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

03. क्या घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

04. निष्कर्ष एवं दण्डादेश यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 03 का निराकरण

05. गीता राठौर (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे अभियुक्त ने माँ बहन की गाली देकर यह कहा था कि मादरचोद बहुत होशियार बनती है। साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया कि गाली सुनने में बहुत बुरी लगी थी। यद्यपि साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उसे गाली दिया जाना बताया है, परंतु अभियुक्त एवं फरियादी दोनों ही ग्रामीण परिवेश के हैं। ग्रामीण परिवेश में कथित शब्द भले ही नैतिकता के विरुद्ध हों, परंतु उन्हें अश्लीलता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः ऐसी दशा में धारा 294 भा.द.वि. प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

06. गीता राठौर (अ.सा.1) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह प्रकट नहीं किया है कि उसे अभियुक्त के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई हो। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में धारा 506 भाग-दो भा.द.वि. अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 का निराकरण

07. गीता राठौर (अ.सा.1) ने अपने परीक्षण में यह बताया कि वह घटना दिनांक को गाँव से गेंहूँ, मक्का लेकर बस स्टैण्ड आमला आई थी। उसकी अनाज की कुछ बोरियाँ अभियुक्त की दुकान चली गई थीं। जिसे लेने के लिए वह अभियुक्त की दुकान पर गई थी। इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया कि जब वह अभियुक्त की दुकान पर गई तो अभियुक्त ने डंडा उठाकर उसके सिर पर मार दिया था, जिससे खून निकला था। उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए साक्षी आयुष राठौर (अ.सा.2) एवं ओमकार राठौर (अ.सा.3) ने यह प्रकट किया

कि अभियुक्त संतोष ने गीता के सिर पर एक लठ मार दिया था, जिससे चोट लगकर खून निकला था। उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए आयुष राठौर (अ.सा.2) एवं ओमकार राठौर (अ.सा.3) ने यह प्रकट किया है कि अभियुक्त संतोष ने फरियादी गीता को सिर पर एक लठ मारा था जिससे चोट लगकर खून निकला था।

08. डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 04.03.15 को सी.एच.सी. आमला में बी.एम.ओ. के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत गीता बाई को परीक्षण किए जाने पर उसके सिर के मध्य में 3 गुणा 2 से.मी. आकार की सूजन एवं दाहिनी अग्र भुजा पर 02 गुणा 01 से.मी. आकार को खरोच का निशान होना तथा आहत को आई चोट सख्त एवं बोथरे हथियार से आना संभावित प्रकट करते हुए चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र.पी. 02 पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए। उक्त साक्षी तथा गीता (अ.सा.1), आयुष (अ.सा.2) तथा ओमकार (अ.सा.3) के कथनों से अभियोजन द्वारा वर्णित समयावधि में तथा आहत के द्वारा बताये गये स्थान पर चोट आने का तथ्य संपुष्ट होता है।

09. गोविंद राव कोलेकर (अ.सा.5) ने दिनांक 07.03.2015 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध 108/15 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर घटना स्थल जाकर नक्शा मौका तैयार किया जाना, उक्त दिनांक को ही अभियुक्त से एक बांस की लकड़ी जब्त किया जाना तथा उसे गिरफ्तार करना एवं साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया जाना प्रकट किया है। साथ ही उक्त साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 पर टी.आर. धुर्वे के हस्ताक्षर को उसकी हस्तलिपि एवं हस्ताक्षर से परिचित होने के आधार पर प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में औपचारिक स्वरूप के प्रश्न पूछे गए हैं, जिससे उसके द्वारा की गई कार्यवाही प्रमाणित होती है।

10. बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि साक्षी आयुष एवं ओमकार फरियादी के परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं। अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। साथ ही फरियादी का अभियुक्त से पूर्व से विवाद है। अतः एकमात्र उसके कथनों पर अभियोजन कथा को प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

11. बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी आयुष (अ.सा.2) फरियादी का बेटा है तथा साक्षी ओमकार (अ.सा.3) फरियादी का देवर/जेठ है परंतु हितबद्ध साक्षी होने के कारण ही उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याया दृष्टांत **वीरेंद्र पोददार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233** अवलोकनीय है।

12. साक्षी आयुष (अ.सा.2) एवं ओमकार (अ.सा.3) ने अभियुक्त द्वारा गीता को सिर पर लठ से मारा जाना बताया है। साक्षी ओमकार ने प्रतिपरीक्षण में बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे गीता ने घटना के बारे में बताया था। स्वतः मैं उक्त साक्षी का यह कहना है कि चाय की दुकान पर से उसने घटना देखी थी। फरियादी गीता (अ.सा.1) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ओमकार को चाय की दुकान पर होना बताया है। साक्षी आयुष (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया बताया है कि जब वह पानी पीकर वापस आया तो पता चला कि फरियादी गीता एवं अभियुक्त के बीच झगड़ा हो गया था। यदि तर्क के लिए यह माना भी जाये कि उक्त साक्षी ने स्वयं घटना घटित होते नहीं देखा था परंतु घटना के तत्काल पश्चात साक्षी आयुष को मौके पर आया था और उसने अपनी मां/फरियादी के सिर पर चोट देखी थी। अतः उक्त दोनों ही साक्षीगण के कथनों से फरियादी गीता (अ.सा.1) के इस कथन की संपुष्टि होती है कि अभियुक्त संतोष के द्वारा उसके सिर पर लाठी से मारकर चोट कारित की गयी।

13. गीता राठौर (अ.सा.1) ने अभियुक्त के द्वारा डंडा उठाकर उसके सिर पर मार दिया जाना बताया है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 3 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि उसका अभियुक्त से दो-तीन बार झगड़ा हो चुका है। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 4 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसे लकड़ी से नहीं मारा था तथा इसी पैरा में इस सुझाव को सही होना बताया है कि अभियुक्त ने उसे बांस की लकड़ी से नहीं मारा था। स्वतः मैं साक्षी ने यह कहा है कि

अभियुक्त ने उसे डंडे से मारा था। पैरा क्र. 5 में साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त के विरुद्ध पुरानी रंजिश के कारण उसने अभियुक्त की झूठी रिपोर्ट लिखवायी थी।

14. बचाव अधिवक्ता के उभयपक्ष के मध्य पूर्व से विवाद होने के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी गीता (अ.सा.1), आयुष (अ.सा. 2) एवं ओमकार (अ.सा.3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त से फरियादी गीता का विवाद पूर्व से होना स्वीकार किया है। साक्षी गीता (अ.सा.1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 5 में अभियुक्त के विरुद्ध पुरानी रंजिश के कारण झूठी रिपोर्ट लिखाये जाने के सुझाव को गलत बताया है। फरियादी गीता अभियुक्त द्वारा उसके सिर पर डंडे से मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर है। उसके कथनों का समर्थन साक्षी आयुष एवं ओमकार ने भी किया है तब ऐसी स्थिति में जहां पर मारपीट के संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य हो वहां रंजिश से बचाव को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

15. घटना दिनांक 04.03.2015 के दिन के 3 बजे की है। फरियादी के द्वारा उक्त दिनांक को ही घटना के तत्काल पश्चात् 03:45 बजे घटना की रिपोर्ट की गई थी। फरियादी गीता राठौर (अ.सा.1) के बताए गए स्थान पर चोट आने का तथ्य चिकित्सकीय साक्ष्य से संतुष्ट हैं। उक्त साक्षी के साक्ष्य का समर्थन आयुष राठौर (अ.सा.2) एवं ओमकार राठौर (अ.सा.3) ने भी किया है। घटना के तत्काल पश्चात् फरियादी के द्वारा रिपोर्ट कराई गई है। फरियादी ने अभियोजन तथा अनुरूप ही न्यायालय में कथन किए हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को घटना में मिथ्या आलिप्त किया जाना प्रकट नहीं होता है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने फरियादी के सिर पर डंडे से मारपीट की उसे उपहति कारित की।

16. प्रकरण में ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं है, जिससे कि यह दर्शित होता कि फरियादी द्वारा अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो। अभियुक्त के द्वारा फरियादी के सिर पर डंडे से सीधा प्रहार किया जाना उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है।

॥ निष्कर्ष ॥

17. उपरोक्तानुसार किए गए विश्लेषण के आधार पर

अभियोजन धारा-323 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है, किंतु धारा-294, 506 (भाग-दो) भा0दं0सं0,1860 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया गया है। परिणामतः, अभियुक्त को धारा-294, 506 (भाग-दो) भा0दं0सं0,1860 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए धारा-323 भा0दं0सं0,1860 के आरोप का दोषी ठहराया जाता है।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च-

18. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त, उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव-पक्ष का तर्क है कि, अभियुक्त द्वारा कारित यह प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा जुर्माने से दंडित कर स्वतंत्र कर दिया जाए, जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियुक्त को अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

19. उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित करने का गंभीर अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

20. अभियुक्त द्वारा मात्र एक प्रहार आहत पर किया गया है। अपराध की प्रकृति तथा प्रकरण के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को विचार में लेने के पश्चात् यदि अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है तो न्याय का उद्देश्य

पूरा हो जाता है। अतः अभियुक्त को धारा-323 भा0दं0सं0,1860 के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा **₹ 900(नौ सौ)** के अर्थदंड से, अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के कठोर कारावास से दंडित किया जाता है।

21. धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की राशि में से 500/- रुपये आहत गीताबाई पति शंकर निवासी इतवारी चौक आमला, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

22. अभियुक्त अन्वेषण, जांच एवं विचारण के समय जिस अवधि के लिए अभिरक्षा में रहा हो, तत्संबंध में धारा-428 दं0प्र0सं0 का प्रमाण-पत्र पृथक से तैयार किया जाए।

23. प्रकरण में जप्तशुदा बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से नियमानुसार नष्ट किया जाए, अपील होने पर जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

24. अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान उपस्थिति के लिए प्रस्तुत जमानत मुचलके भारहीन किए जाते हैं।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।
मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)